

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ4(ई) / (आर-2915 / 2013) / अलेसे-III / 1081

दिनांक:- 15.9.2022

कार्यालय आदेश

श्री रमेश चन्द चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर के पत्र क्रमांक 42251-52 दिनांक 06.09.2022 द्वारा अग्रेषित आवेदन के अनुसार माह सितम्बर 2022 में दिनांक 16.09.2022 से 21.09.2022 तक भ्रमण हेतु थाईलैंड जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1 वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगा।
- 2 वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेशप्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन / फ़ैक्स न.आदि सूचित करेगा।
- 3 विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
- 4 वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय / विदेश सेवा गृहण नहीं करेगा।
- 5 वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख / सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
- 6 वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगा।
- 7 उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 8 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा / के माध्यम से कोई व्यय / विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
- 9 वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगा।
- 10 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगा।
- 11 उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगा।



(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ4(ई) / (आर-2915 / 2013) / अलेसे-III / 1081
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:- 15.9.2022

- 1 अतिरिक्त प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 42251-52 दिनांक 06.09.2022 के क्रम में।
- 2 श्री रमेश चन्द चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
- 3 उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)